फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

अमृतलाल बनाम देवाराम वगैरा

किस्म मुकदमा—राजस्व वाद मुकदमा नम्बर—92 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्मकार्रवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2025	वादी के अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा विश्नोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 6, 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन / नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.07.2025 को पेश हो।	
30/06/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण की आगामी पेशी तारीख 29/07/25 को मुकर्रर है। हम पक्षकारों के मध्य लोकअदालत की भावना से वादग्रस्त आराजी के आपसी सहमति से सलूह हो गया है। इस हेतु पत्रावली में आवश्यक सुनवाई आवश्यक है। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से वादग्रस्त आराजी के आपसी सहमति से सलूह हो गया है। उक्त आराजी का हमारे विवाद नहीं रहने से वाद में वादी कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। अत: प्रार्थना [illegible] निवेदन है कि उक्त अनवान का [illegible] विड्रो फैसल फरमावें। [illegible] का प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली जरिए राजीनामा विड्रो की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।	अमृतलाल (वादी वकील)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested